भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 2104
गुरुवार 12 फ़रवरी, 2026/23 माघ, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

पायलट ड्यूटी मानदंडों में बदलाव

2104. श्री सेल्वाराज वी.:
श्री सुब्बारायण के.:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पूर्व में विमान कंपनियों को पायलटों की ड्यूटी और विश्राम अवधि के मानदंडों के संबंध में कतिपय राहत दी थी /बदलाव किए थे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पायलटों की ड्यूटी संबंधी मानदंडों से दी गई राहत को वापस ले लिया गया है ताकि सुरक्षा से समझौता न किया जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) विमान कंपनियों द्वारा पायलटों की भर्ती की आवधिक समीक्षा के लिए नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) और (ख): जी हाँ, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने नाइट ड्यूटी, लैंडिंग की संख्या, साप्ताहिक विश्राम, लगातार नाइट ड्यूटी से संबंधित और अन्य परिचालन बाधाओं के संबंध में, नागर विमानन अपेक्षाएं खण्ड-7, श्रृंखला-जे, भाग-III में एयरलाइनों के लिए कतिपय बदलाव प्रदान किए हैं।

सुरक्षा जोखिम विश्लेषण पर उचित विचार करने के उपरांत इन बदलावों/छूटों को पुन:समीक्षा के अध्यधीन छह महीने की सीमित अवधि अर्थात 30 अप्रैल 2026 तक के लिए प्रदान किया गया था।

इसके अलावा, मेसर्स इंडिगो के अनुरोध पर, एफडीटीएल नागर विमानन अपेक्षाएं 7/जे/III के खंड 3.11 और 6.1.4 के प्रावधानों से अस्थायी छूट केवल सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए परिचालन स्थिरता में सहायता प्रदान करने के लिए दिनांक 10.02.2026 तक दी गई है।

(ग): एयरलाइनों द्वारा पायलटों की भर्ती अपनी परिचालन आवश्यकता, नेटवर्क और विमान बेड़े के आधार पर की जाती है। डीजीसीए नियमित रूप से प्रचालक के साथ बातचीत कर रहा है और परिचालन स्थिरता की निगरानी करने और निरंतर विनियामक निगरानी सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण परिचालन और जनशक्ति मापदंडों पर साप्ताहिक और पाक्षिक रिपोर्ट प्राप्त कर रहा है।

******